

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री वासुदेव मालावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 23/2017

बउनवान

कन्हैयालाल पुत्र मन्नालाल जाति गुर्जर निवासी सरसोदिया तहसील अटरू जिला बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें नायब तहसीलदार, कवाई जिला बारां

(रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :- 1- श्री रघुवीर प्रसाद मीणा अभिभाषक

(अपीलांट)

2- परोकार सरकार

(रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 28.11.2017

अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, कवाई के प्रकरण संख्या 87/2017 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 03.03.2017 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम केरवालिया की सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर सम्वत् 2073 में खसरा नम्बर 256 की रकबा 0.50 है। भूमि पर फसल सरसों की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर तीन माह (90 दिन) की सिविल कारावास की सजा एवं 250/- रुपये तावान से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 22.05.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जयें नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर बहस सुनी गई।

अपीलांट अभिभाषक ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलांट का वर्तमान में उक्त विवादित भूमि पर कब्जा नहीं है तथा अपीलांट ने ताबान राशि भी जमा करवा दी है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पटवारी हल्का के बयान लिये गये हैं, जो प्रोफार्मा पर लिये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरुद्ध एकतरफा निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं है। अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

इसके विपरीत परोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई सजा बहाल रखी जानी चाहिये। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा है। अपीलांट द्वारा पूर्व में भी अतिक्रमण किया गया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 235/16 में पारित निर्णय दिनांक 05.10.2016 की पालना में मौके से बेदखल किया गया था। अपीलांट द्वारा पुनः किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

**अतिरिक्त जिला कलक्टर
बारां**

हमने उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को पश्चातवर्ती अतिरिक्त अतिरिक्त का नोटिस जारी किया गया, जिसकी तामील करवाई गई है। अपीलांत वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार कवाई में अनुपस्थित रहा है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश विधिसंगत प्रतीत होने से यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, कवाई द्वारा प्रकरण संख्या 87/2017 में अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत पारित निर्णय दिनांक 03.03.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2017 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।



(वासुदेव मालावत)
अति० जिला कलक्टर,
बारां

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official